यह सुविधा दिया जाना शेष है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में राजस्थान की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि एस०टी०डी० बूथों के खुलने से जनता को राहत मिली है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार टेलीफोन कॉल की दरों में कमी करके मध्यम वर्ग और निर्धनों को लाभ और राहत देने का विचार रखती है;

(छ) छोटे शहरों में यह सुविधा कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ज) प्रत्येक राज्य में इस समय कार्य कर रहे एस०टी० डी० टेलीफोन बूथों की राज्यवार संख्या क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) जी हां।

(ख) 31.1.92 की स्थिति के अनुसार 59044 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है और 1,69,625 पंचायत ग्रामों में अभी यह सुविधा प्रदान की जानी है।

(ग) यह कार्य 31 मार्च, 1995 तक संपन्न हो जाने की संभावना है, जो कि निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) 31.1.92 की स्थिति के अनुसार राजस्थान के 7353 पंचायत ग्रामों में से 3106 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ङ) जी हां।

(च) कॉलों की दरें, नीति के अनुसार निर्धारित की जाती हैं और इस समय इन दरों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपस्करों और माध्यम के उपलब्ध हो जाने पर छोटे कस्बों में एस०टी०डी० बूथ की सुविधा उत्तरोत्तर रूप से प्रदान की जाएगी।

(ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शनों की आवश्यकता

107. **डा० अबरार अहमद:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सभी प्रादेशिक राजधानियों और जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर तथा उदयपुर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा-सूचियों की नवीनतम स्थिति क्या है और प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे;

(ख) सरकार ऐसी स्थिति में कब तक पहुंचेगी कि मांगते ही टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायें,

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार टेलीफोन बिलों के संबंध में कर्मचारियों द्वारा की जा रही धांधली को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) प्रतीक्षा-सूची की स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **[नीचे देखिये]** प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार, देश में छोटी टेलीफोन प्रणालियों (ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र) में, इस योजना अवधि के अंत तक (मार्च 1977 तक) मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन व्यावहारिक रूप से प्रदान किए जाने की आशा है। लंबी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा अवधि को आठवीं योजना अवधि के अंत तक दो वर्षों तक सीमित किए जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि उसके बाद भी सन् 2000 तक लंबी प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को और कम कर दिया जाएगा।

(घ) विभाग द्वारा टेलीफोन के सही बिल जारी करने में पर्याप्त सावधानी बरतते हुए बिल नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। लिपिकीय गलतियों, कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाए जाने में होने वाली गलतियों, तकनीकी दोषों आदि का पता लगते ही तत्काल ठीक कर दिया जाता है और उपभोक्ता के पिछले बिलों के आधार पर उन्हें अनन्तिम बिल जारी किए जाते हैं। जारी किए गए कुल बिलों की संख्या को देखते हुए, जो कि लगभग 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष है, गलत बिलों की संख्या काफी कम (जारी किए गए कुल बिलों की संख्या के 1% से कम) है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य का नाम	राजधानी शहर का नाम	30.9.91 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	67491
2.	असम	गुवाहाटी	5627
3.	बिहार	पटना	6193
4.	गुजरात	गांधी नगर	883
5.	हरियाणा	चंडीगढ़	37066
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	3914
7.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू श्रीनगर	6339 7673
8.	केरल	त्रिवेन्द्रम	16895
9.	कर्नाटक	बेंगलूर	57523
10.	महाराष्ट्र	बम्बई	245832
11.	गोवा	पणजी	3128
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल	4850
13.	अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	12
14.	मणिपुर	इम्फाल	1793
15.	मेघालय	शिलांग	1479
16.	मिजोरम	आइजोल	669
17.	नागालैण्ड	कोहिमा	200
18.	त्रिपुरा	अगरतला	990
19	उड़ीसा	भुवनेश्वर	2339
20.	पंजाब	चंडीगढ़	37066
21.	राजस्थान	जयपुर	46628
22.	तमिलनाडु	मद्रास	83910
23.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	7254
24.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	45846
25.	सिक्किम	गंगटोक	332
26.	दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश	दिल्ली (देश की राजधानी)	314851
27.	राजस्थान के शहर:	अजमेर जोधपुर कोटा उदयपुर	4499 9608 7147 8057

Time limit for M.T.N.L. to sanction telephone connection

108. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have fixed some time limit for installation of telephone when sanctioned on priority;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) if not, what are the reasons therefor;

(d) whether some time limit has also been fixed for M.T.N.L. to issue formal release orders when telephone connections are sanctioned on priority basis;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU: (a) to (f) The Chief General Managers Telecom / Telephones and M.T.N.L. have been advised to install the telephone connectins sanctioned on priority as early as possible within a maximum period of one month subject to technical feasibility and observance of departmental formalities.

Details of Bank Credit Ratio

109. SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that bank credit grew by 17.3 per cent during the year ending September 1991 as against 16 per cent during the corresponding period last year;

(b) if so, what was the growth registered in bank credit during the same period; and

(c) what are the state-wise figures of deposits and credits during this period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) the growth rate of bank credit during the year ending September, 1991 was 12.2% as against 18.2% during the corresponding period last year. However, the deposit growths for the corresponding periods were 17.3% and 16.0%.